राजस्थान सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

**पीठासीन अधिकारी—श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या— 07/2023
जी0सी0एन0एस0 संख्या— 2023/140
दायर दिनांक— 20.04.2023
निर्णय दिनांक— 12.11.2025

**उनवानी**

1. छीतर पुत्र चौथू जाति जाट नि0 ग्राम सिनोदिया

—प्रार्थी

**बनाम**

1. घासी पुत्र भोना
2. पाना पुत्री दीना
3. मुलाराम पुत्र दीना
4. रामली पुत्री दीना
5. रामा पुत्र दीना
6. श्रीकिशन पुत्र भोना
7. सुगनी पुत्री दीना
8. सुवाराम पुत्र दीना
9. हरकू देवी पत्नि दीना
   सर्वजाति गुर्जर, सर्वनिवासी ग्राम खाजपुरा मैरवाई हाल नि0 कटारिया की ढाणी, बकरवालिया, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नदूण

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति—:1. श्री सुण्डाराम अधि0 प्रार्थी
2 श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 अप्रार्थी संख्या—1, 5, 6, 8
3 रामदेव गुर्जर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 7, 9

**—:निर्णय:—**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सिनोदिया, पटवार हल्का सिनोदिया , भू–अभिलेख क्षेत्र कोटड़ी के खाता संख्या 85 के ख0न0 574 रकबा 6.0755 हैक्ट0 स्थित है। ख0न0 1263/564 की भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है जिसमें मौके पर पक्की सड़क बनी हुयी है। प्रार्थी की भूमि के पड़ोस में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी भूमि ख0न0 1111/573 व 572 की भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 574 में आने जाने हेतु ख0न0 1263/564 गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि ख0न0 1111/573 व 572 में से ही एकमात्र रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने का अन्य कोई भी रास्ता एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि ख0न0 574 की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण की उक्त वर्णित ख0न0 1111/573 व 572 की भूमिं में से 30 फीट चौड़ा व प्रार्थी के खेत ख0न0 574 की मेड़ तक पहुंचने हेतु लम्बा रास्ता जो कि संलग्न नजरी नक्शे में लालस्याही से मार्क ए, बी, सी, डी के अनुसार दर्शाया गया है प्रार्थी द्वारा संलग्न नजरी नक्शें में अंकितानुसार 30 फीट का रास्ता चाहा गया है।प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि ख0न0 574 में आने जाने का कोई निकटतम, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिये रास्ता दिलवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 10 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 11 के यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 11 के विरूद्व अन्य किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी की उक्त वाद वर्णित भूमि ख0न0 574 में आने जाने के लिये रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि ख0न0 1111/573 व 572 में से 30 फीट का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थी के खेत पर कृषि कार्य के लिये आने जाने हेतु बेलगाड़ी, ट्रेक्टर, आदि आराम से आ जा सके इसलिये प्रार्थी को कम से कम 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। 1, 5, 6, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल किशोर तिवाड़ी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 7 व 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 7, 9 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पेश किया जिसको स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 7, 9 के खिलाफ की गयी एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त। वकील अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 7, 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय आपत्ति मौका रिपोर्ट पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 7, 9 द्वारा पेश मौका आपत्ति रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के ग्राम सिनोदिया के ख0न0 574 में आने जाने के लिये ख0न0 1111/573 व 572 में से 15 फीट का रास्ता प्रदत्त करने पर उक्त प्रस्तावित खसरा नम्बर 1111/573 में रकबा 0.0463 व ख0न0 572 में 0.0413 हैक्ट0 (कुल रकबा 0.0876 हैक्ट0) बनता है। जिसकी ग्राम सिनोदिया की कृषि भूमि की डी0एल0सी0 दर 560,000/—प्रति हैक्ट0 लागू होना अवगत कराया। उक्त प्रस्तावित रास्ते की डी0एल0सी0 अनुसार प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने ख0न0 574 में आने जाने हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये रास्ता प्रदत्त करने हेतु निवेदन किया।वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रस्तावित खसरा नम्बर में से रास्ता दिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने खेत ख0न0 574 में जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1111/573 व 572 में से रास्ता चाहा है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1111/573 व 572 की डी0एल0सी0 दर अनुसार रकबा 0.0876 हैक्ट0 है की राशि 49056/— अक्षरे उनपचास हजार छप्पन रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 98,112/— अक्षरे अठानवें हजार एक सौ बारह रूपये बनती है।

| क0स0 | ख0न0 | खातेदार | रकबा (है0) | दुगुनी राशि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1111/573, 572 | घासी पुत्र भोमा | 0.0219 | 24528 |
| 02 | 1111/573, 572 | पाना पुत्री दीना | 0.0063 | 7008 |
| 03 | 1111/573, 572 | मूलाराम पुत्र दीना | 0.0063 | 7008 |
| 04 | 1111/573, 572 | रामली पुत्री दीना | 0.0063 | 7008 |
| 05 | 1111/573, 572 | रामा पुत्र दीना | 0.0063 | 7008 |
| 06 | 1111/573, 572 | श्रीकिशन पुत्र भोमा | 0.0219 | 24528 |
| 07 | 1111/573, 572 | सुगनी पुत्री दीना | 0.0062 | 7008 |
| 08 | 1111/573, 572 | सुवाराम पुत्र दीना | 0.0062 | 7008 |
| 09 | 1111/573, 572 | हरकू देवी पत्नि दीना | 0.0062 | 7008 |

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.11.19 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)